



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,

अयोध्या विकास प्राधिकरण,

अयोध्या।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2026

विषय:-डा0 भीमराव अम्बेडकर राज्य खेल संस्थान अयोध्या (निकट शीतला माता मन्दिर) का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण (क्षेत्रफल लगभग 06 एकड़) के कार्य सम्बंधी परियोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-70/अयो0अयो0वि0प्रा0-अयो0/2025-26 दिनांक 12.03.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 भीमराव अम्बेडकर राज्य खेल संस्थान अयोध्या (निकट शीतला माता मन्दिर) का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण (क्षेत्रफल लगभग 06 एकड़) के कार्य सम्बंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रु0 496.21 लाख (रूपये चार करोड़ छियानवे लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किए जाने से पूर्व परियोजना में निहित भूमि के सम्बंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि परियोजना की निहित भूमि सरकारी है एवं निर्विवादित है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में

- किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
 - (6) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
 - (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना अंतर्गत सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 - (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।
 - (9) प्रायोजनान्तर्गत अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या कार्यदायी संस्था होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्ट्रल चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।
 - (10) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
 - (11) अयोध्या विकास प्राधिकरण, व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 - (12) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्य मदों में ही किया जायेगा।
 - (13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
 - (14) भूमि के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।
 - (15) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर प्रस्तावित कार्यों की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। अयोध्या विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा

की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

- (16) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (17) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अयोध्या में प्रस्तावित कार्य को सही स्थल पर, मानक अनुरूप व गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जाए, कार्य के पूर्व, दौरान व उपरान्त के गूगल मैप फोटो (जियो कोआर्डिनेट्स व दिनांक के अंकन सहित) रक्षित किये जाए व मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा भी नियमित पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (19) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।
- (20) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का अभिप्राय है कि डिटेल्ड स्टीमेट, ड्राइंग, डिजाइन, गणनायें, स्थल की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा, कार्य की दर सूची/दस विश्लेषण की दरें एवं लागत को सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (21) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (22) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बंधित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथाआवश्यक पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (23) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ

पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(24) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18.02.2026 के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देश/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-051-निर्माण-04-अयोध्या का सर्वांगीण विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-57/2026/342(1) /आठ-1-26-1964383 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ई मेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।